



उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19, सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति
(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की भर्ती/चयन वर्ष 2019
(दिनांक 01-07-2019 से 30-06-2020) की कुल 32 रिक्त पदों का चयन परिणाम


संख्या : पीआरपीबी-चार-12(18)/2020(भाग-7)

दिनांक: अगस्त 31, 2022

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में दिये गये प्रावधानानुसार मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष-2019 (दिनांक 01-07-2019 से 30-06-2020) तक की कुल 32 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में पात्र 2204 अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 31-10-2021 को सम्पन्न हुई थी। संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने वाले कुल 479 अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" दिनांक 13-01-2022 से 27-01-2022 तक राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), नूरनगर भदरसा, तहसील सरोजनीनगर, पसगना-बिजनौर, उ0प्र0 लखनऊ में सम्पन्न करायी गयी। संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अर्ह 462 अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन कराया गया।

2- "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अर्ह 462 अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में प्राप्त अंको एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के रिक्त 32 पदों के सापेक्ष श्रेष्ठताक्रम में तैयार की गयी चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदनोपरान्त चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in/> पर जाकर दिये गये लिंक पर अनुक्रमांक व जन्म तिथि डालकर अपने अंक व परिणाम देख सकते हैं।

3- यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।


अपर सचिव-प्रोन्नति,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।